प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनांक 17.12.2024

अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक मंगलवार परेड का किया गया निरीक्षण, दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 17.12.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। महोदय द्वारा परेड के उपरान्त पुलिस लाइन्स परिसर में मेस, गणना कार्यालय, आमी बैरक, आदि का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष मे सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 17.12.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 01** वारण्टी नाम पता सुनील कुमार पुत्र छेदी प्रसाद निवासी मोतीपुर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री मोतीलाल यादव, का0 रामभूषण पटेल।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1490 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1490 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत चपरापूर्वी से कालर ने मारपीट/विवाद में घायल एक महिला (1. मीना पत्नी त्रिलोकी नाथ ग्राम चपरापूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के मारपीट/विवाद में घायल के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट/विवाद में घायल महिला को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* आ0 ऋषभ राय, आ0 मुकेश पाल, हो0चा0 रामहित प्रजापति।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 152 वाहनों से 1,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 17.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 152 वाहनों से 1,22,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.12.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 03 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 17.12.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 03 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 17.12.2024

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा 2024 के दृष्टिगत की गयी गोष्ठी, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनाँक 17.12.2024 को जिलाधिकारी ***महेन्द्र सिंह तंवर*** व पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में दिनांक 22.12.2024 को **उ0प्र0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य/ प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा 2024** के दृष्टिगत ब्रीफिंग गोष्ठी का आयोजन किया गया। महोदय द्वारा बताया गया कि जनपद संतकबीरनगर के अन्तर्गत *11 केन्द्रों* पर दो पालियों में परीक्षा समय क्रमशः प्रथम पाली प्रातः 09.30 बजे से 11.30 बजे तक व द्वितीय पाली अपरान्ह 02.30 बजे से सायं 04.30 बजे तक कराया जाना प्रस्तावित है,जिसमें ***कुल 4628 परीक्षार्थी*** शामिल होगें। उक्त परीक्षा को सकुशल सम्पन्न करानें / शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु विभिन्न विभागों के अधि0/कर्मचारीगण के साथ गोष्ठी की गई व शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** सहित पुलिस व राजस्व के अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.12.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को 08 माह के कठिन कारावास व कुल 1500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 17.12.2024 को ***ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना दुधारा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 573/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट प्रतिवादी शारुख पुत्र इसहाक निवासी करही थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर में आदेशित किया गया कि विशेष वाद संख्या 06/2016, मु0अ0सं0 573/2016 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त शारुख को संस्वीकृति के आधार पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है। विशेष वाद संख्या 06/2016, मु0अ0सं0 573/2016 थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त शारुख को धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभारी पदार्थ अधिनियम में 08 माह के कठिन कारावास एवं रुपया 1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को 10 दिवस कारावास में बिताना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जायेगा। अभियुक्त शारुख को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जावे।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.12.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप व्यपहरण के मामलें में अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 17.12.2024 को ***न्यायालय – जनपद न्यायाधीश सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना धनघटा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 539/2009 धारा 363, 366, भादवि प्रतिवादी रमेश पुत्र रामप्रसाद निवासी सेमरवना थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के मामलें में आदेशित किया कि अभियुक्त रमेश पुत्र रामप्रसाद को धारा 366 भादवि के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 363 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.12.2024

मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-05) के तहत कम्युनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं / बालिकाओं को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरुक

मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-05) के तहत भारत संकल्प यात्रा की ब्लॉकवार व ग्रामवार कार्यक्रम कर संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किया जा रहा जागरुक

समस्त महिला बीटों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा ग्राम चौपाल का आयोजन कर महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, महिला हेल्प डेस्क व कानूनी प्रावधानों की जानकारी देकर व पम्पलेट वितरित कर किया जा रहा सशक्त

उत्तर प्रदेश शासन** द्वारा **महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है।